राजस्थान मे पंचायतीराज संस्थाओं में सेवानिवृत्ति एवं पैंशन व्यवस्था का अवलोकन :

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रशासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश :–

सरकारी कर्मचारी प्रायः कहते हैं "अपाइंटमेंट इज रिटायरमेंन्ट" अर्थात् सेवा में नियुक्ति हुई है तो सेवानिवृत्ति भी अवश्यम्भावी है। सामान्यत: लोक सेवाओं में नवयुवक/युवतियों प्रवेश करते हैं तथा एक लम्बी अवधि तक सेवा करते–करते वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगते हैं ऐसी स्थिति में शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्षमताएं स्वत: ही कम होने लगती हैं । वरिष्ठ कर्मचारी को विश्राम देने तथा उसे परिवार सहित सुखमय जीवन बिताने देने संगठन की कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए नौजवानों को प्रवेश देने तथा पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे अधीनस्थ कार्मिकों को अवसर प्रदान करने के लिये लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंन्ट) आवश्यक होती है।"[1]

भारत में सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यतः 60 वर्ष है जो कतिपय प्रकरणों में कम या ज्यादा हो सकती है। पांचवे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर 60 वर्ष करने का सुझाव दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी जिसे द्वितीय वेतन आयोग ने तीन वर्ष और बढ़ा दिया था। सेवानिवृत्ति की आयु देश, काल, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य स्तर से भी प्रभावित होती है। अमेरिका में सेवानिवृत्ति की आयु 65 से 70 वर्ष तथा ब्रिटेन में 60 से 65 वर्ष के बीच है। सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में भी विरोधाभास बना रहता है। अभी पांचवे वेतन आयोग द्वारा इसे 58 से 60 करने पर सेवारत कार्मिकों ने प्रशंसा की है जबकि बेरोजगार नौजवान इससे हताश हुए हैं। विद्वानों का मानना है कि भारत में औसत जीवनावधि अब बढ़ चुकी है अतः सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़नी चाहिए तथा इस प्रणाली से सरकार को अनुभवी तथा कुशल कार्मिक मिलते हैं साथ ही पैंशन भी देरी से देनी पड़ती है। यदि सेवानिवृति की व्यवस्था ही न हो तो कर्मचारियों को आजीवन पद पर रहना पड़ेगा। इसकी वजह से लोक सेवाओं में अकुशलता तथा अराजकता व्याप्त हो जाएगी। यदि कार्मिक को सेवानिवृत्त किया तथा आजीविका का साधन (पैंशन) न दिया जाए तो सेवानिवृत्त कार्मिक असहाय स्थिति में आ जाएगा।

सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को नियोक्ता द्वारा कुछ आर्थिक लाभ प्रदान किये जाते हैं ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी सुख से जीवन व्यतीत कर सके। सेवानिवृत्ति के समय देय सुविधाएँ निम्न मान्यताओं पर आधारित हैं –

(i) यह नियोक्ता द्वारा अपने वफादार कर्मचारी के प्रति उदारता का प्रतीक है;

(ii) यह अच्छे कार्य का पुरस्कार है;

(iii) यह सामाजिक सुरक्षा है;

(iv) यह कर्मचारी का रूका वह धन है, जिसका वह अधिकारी है।

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को देय सुविधाएँ क्या सचमुच राज्य द्वारा प्रदर्शित उदारता या परोपकार की परिचायक हैं ? कुछ दशक पूर्व तो ऐसा ही माना जाता था किन्तु अब यह स्पष्टतः मान लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के समय देय लाभ राज्य द्वारा प्रदर्शित उदारता नहीं अपितु कर्मचारी का अधिकार तथा राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। डी. एस. नकरा एवं अन्य बनाम भारत संघ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है "पैंशन, न तो दान या दक्षिणा है और न ही करूणा या सहानुभूति का प्रसाद है। यह सेवा कर चुके प्रत्येक कर्मचारी का संवैधानिक, कानूनी अधिकार है जो कठोर परिश्रम के कारण देय है।"

पैंशन

पैंशन (निवृत्ति वेतन) शब्द मूलतः लेटिन के 'पेन्शियों' से बना है जिसके कई अर्थ हैं जिनमें भुगतान करना, वजन करना, लटकाना, इत्यादि सम्मिलित हैं, किन्तु वर्तमान में पैंशन का तात्पर्य निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मिलने वाले नियमित भुगतान से है जो कर्मचारी या उसके परिवार को देय होता है।[2]

राजशाही व्यवस्था के दौरान राजा के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर पैंशन का कोई प्रावधान तो न था किन्तु मौद्रिक ईनाम या जागीर इत्यादि दे दी जाती थी। ब्रिटिश काल में भी पैंशन बहुत देरी से शुरू हुई। इंगलैण्ड में 1843 से सर्वप्रथम ताज के सेवकों को पैंशन दी जाने लगी तो भारत स्थित लोक सेवकों ने भी इस सुविधा की मांग की। इस क्रम में 1871 में पहली बार "भारतीय पैंशन अधिनियम' बनाया गया। उन दिनों पैंशन, 'अंशदायिनी' होती थी अर्थात् प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में से पैंशन की कुछ राशि (9%) काट ली जाती थी तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात यही राशि पैंशन के रूप में मिल जाती थी। यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से पैंशन राशि नहीं काटी जाती है, अतः पैंशन अब गैर अंशदायिनी है।

लोक सेवकों को देय पैंशन कई प्रकार की होती हैं, जो सम्बन्धित सेवा के लिए बने नियमों के अनुसार देय होती है।

(i) क्षतिपूरक पैंशन (कम्पन्शेटरी पैंशन) – जब किसी पद को समाप्त कर दिया जाता है तो यह पैंशन कर्मचारी को देय होती है। कार्मिक को यह विकल्प दिया जाता है कि वह क्षतिपूरक पैंशन ग्रहण करे अथवा निम्न स्तरीय पद ग्रहण करले (यदि उपलब्ध हो तो), यह पैंशन "राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण नियमों" के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी देय होती है।

(ii) असमर्थता पैंशन (इनवेलिड पैंशन) – जब कोई सेवारत कर्मचारी शारीरिक या मानसिक रूप से पद के दायित्व वहन करने में असमर्थ हो जाए तो यह पैंशन दी जाती है। (कई बार उसी विभाग में कार्मिक को हल्के काम पर भी लगाया जा सकता है।)

(iii) अधिवार्षिकी पैंशन (सुपरएनुएशन पैंशन) – यह पैंशन उन कार्मिकों को दी जाती है जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति लाभ के लिए निश्चित की गई आयु प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में यह सीमा 60 वर्ष है।

(iv) रिटायरिंग पैंशन पैंशन के लिए योग्यता प्रदायी सेवावधि (सामान्यतः 20 से 30 वर्ष) पूरी कर लेने पर रिटायरिंग पैंशन दी जाती है।

(v) घायल तथा असामान्य पैंशन (वुन्ड एण्ड एक्सट्राऑर्डिनरी पैंशन) - यह पैंशन अस्थायी कार्मिकों को भी देय है साथ ही यह पैंशन अन्य किसी पैंशन, जिसके लिए कर्मचारी पात्र है, के अतिरिक्त दी जाती है। ड्यूटी के दौरान यदि कर्मचारी घायल हो जाए या मृत्यु हो जाए तो यह पैंशन दी जाती है। मृतक के परिवार को परिवार पैंशन मिलती है। पैंशन की सुविधा पदच्युत या पद से हटाये गये कर्मचारियों तथा त्यागपत्र देने वालों को देय नहीं है। पैंशन के लिए निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है

(i) कर्मचारी की सेवाऐं सरकार के अधीन रही हों।

(ii) वह सेवा अवधि मूल स्थायी / अस्थायी अथवा कार्यवाहक रही हो ।

(iii) उस सेवा का भुगतान सरकार द्वारा राजकोष से किया गया हो।

(iv) कर्मचारी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो।

(v) कर्मचारी की नियुक्ति सरकार के नियमों के अधीन की गई हो ।

(vi) कर्मचारी का सेवाकाल अनुशासित तथा नियमानुसार रहा हो ।

पैंशन के कुछ अन्य नियम

(i) राजस्थान के सेवा नियम 248 के अनुसार पैंशन का अधिकारी, कोई कर्मचारी, पैंशन के स्थान पर केवल ग्रेच्युटी की माँग नहीं कर सकता।

(ii) पैशन की गणना करते समय मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, सहयोजन या व्ययपूरक भत्ते को वेतन के साथ नहीं लिया जाता है।

(iii) सेवा उपादान (सर्विस ग्रेच्युटी) दस वर्ष के कम की पैंशन योग्य सेवा के लिए उपादान स्वीकृत किया जाता है जो कर्मचारी द्वारा की गई प्रत्येक छमाही भाग के लिए 15 दिन के वेतन के समान होती है।

(iv) पैशन की राशि वेतनादि के 50% के आधार पर निर्धारित की जाती है जो न्यूनतम 300 से कम नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पैंशन की गणना 33 वर्ष की अधिकतम सेवा के आधार पर होती है जहाँ एक कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के समय 10 वर्ष से अधिक किन्तु 33 वर्ष से कम की पैशन योग्य सेवा हो तो उसके मामले में पैंशन 33% के तदनुसार दी जाती है अर्थात् 33 वर्ष पर जो पैंशन बनती है उसके आधार पर वास्तविक वर्षों के अनुपात में दी जाती है।

(v) पैंशन में नियमानुसार वृद्धि होती रहती है।

(vi) कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी ग्रेच्यूटी इत्यादि ग्रहण करने के लिए उसके परिवार के सदस्य मनोनीत होते हैं जिनमें पति / पत्नी, पुत्र, अविवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ, 18 वर्ष से कम आयु के भाई एवं अविवाहित तथा विधवा बहिनें, पिता एवं माता सम्मिलित हैं। अपने परिवार के सदस्यों के होते हुए कोई भी कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति या मित्र का मनोनयन नहीं कर सकता है।

(vii) 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को 10 वर्ष के लिए पैंशन दी जाती है।

(viii) सेवा कार्य के दौरान असामयिक मृत्यु के समय, सरकार कार्मिक के परिवार को दयामूलक (एक्सग्रेसिया ग्रांट) सहायता दे सकती है जो प्रायः उसके वेतन का पांच गुना होती है। सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक को उसकी विविध जमा राशियाँ भी प्राप्त होती हैं।

कोई भी कर्मचारी चाहे तो अपनी पैंशन को लघुकृत (कम्यूटेड) करवाके उसका एक मुश्त भुगतान प्राप्त कर सकता है लेकिन इस सम्बन्ध में कई प्रकार के नियम प्रवर्तित हैं। परिवार पैंशन योजना के अन्तर्गत मृत्यु को प्राप्त कार्मिक की विधवा या बच्चों को नौकरी अथवा पैंशन देने का भी प्रावधान है। यदि कर्मचारी "व्यक्तिगत दुर्घटना सामूहिक बीमा" योजना से जुड़ा हुआ रहा हो तो उसको दुर्घटना के समय विकलांगता की स्थिति में निर्धारित दरों पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है तथा मृत्यु हो जाए तो परिवार को बीमा राशि प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों को उनसे सम्बन्धित सेवानियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ देय होते हैं। उदाहरण के लिये राजस्थान के राज्य कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर निम्न लाभ दिये जाते हैं[3]

(i) उपार्जित अवकाश जिनका कर्मचारी ने उपभोग नहीं किया हो, का एक निश्चित सीमा तक मौद्रिक भुगतान।

(ii) सामान्य प्रावधायी निधि में जमा कार्मिक का धन मय व्याज / बोनस के ।

(iii) राज्य बीमा में जमा कार्मिक के धन की वापसी।

(iv) लगभग 16 माह के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी राशि।

(v) अंतिम वेतन तथा सेवावधि के आधार पर मासिक पैंशन दी जाती है। पैंशन की गणना करने के लिए एक फार्मूला तय किया गया है। पैंशनरों को देय पैंशन पर समय–समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी भी की जाती है।

संघीय कर्मचारियों की पैंशन नीति का निर्माण तथा सम्बन्धित कार्य "कार्मिक लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय" करता है जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए पैंशन विभाग यह दायित्व वहन करता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की पाठ्य पुस्तक एम.एस.–22,
कम्परेटिव एच.आर.डी. एक्सपीरियेन्सेज, 1992 पृ. 24

2. कटारिया सुरेन्द्र : कार्मिक प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर पृ. 169

3. न्यू वेबेस्टर 20वीं सदी विश्वकोष, पृ. 1598

4. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वेजेज : ए वर्कस एजूकेशन मैनुअल, जिनेवा 1987, पृ. 94